रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18082021-229106
CG-DL-E-18082021-229106

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 343] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 18, 2021/श्रावण 27, 1943
No. 343] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 18, 2021/SHRAVANA 27, 1943

भारतीय उपचर्या परिषद्

आदेश

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2021

फा. सं. 18–518/2000–आईएनसी.—समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :–

जबकि, **चैतन्य स्कूल/कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रामनगर फर्स्ट लाइन, ओंगोल, प्रकाशम–523001 (आंध्र प्रदेश)** आंध्र प्रदेश राज्य सरकार तथा आंध्र प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइव्स काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त है।

वहीं, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने के लिए प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, 5वां ब्लॉक, भूतल, कमरा संख्या 157, सचिवालय, वेलागपुडी, अमरावती–522503, आंध्र प्रदेश को संबोधित नोटिस संख्या 18–518/2000–आईएनसी दिनांक 16.08.2019 को जारी किया गया था। दिनांक 16.08.2019 को जारी नोटिस की एक प्रति चैतन्य स्कूल/कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रामनगर फर्स्ट लाइन, ओंगोल, प्रकाशम–521225, आंध्र प्रदेश को भी भेजी गई थी। जारी किए गए नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

चूंकि, चैतन्य स्कूल/कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आंध्र प्रदेश के संबंध में परिषद् को राज्य सरकार से कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है। और संस्था यानी चैतन्य स्कूल/कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने भी जारी किए गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है।

वहीं, परिषद् ने इस मामले पर पूरी तरह से विचार किया है। भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 13 के तहत वैधानिक निरीक्षण कराने से इनकार किया जाना एक गंभीर मुद्दा है। केवल निरीक्षणों के आधार पर ही परिषद् नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के बारे में निर्णय लेने की स्थिति में होती है। निरीक्षण से इनकार करने का वास्तविक अर्थ यह होगा कि संस्थान के पास अपेक्षित शैक्षणिक, नैदानिक या संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

अतः, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 19.06.2021 से **चैतन्य स्कूल/कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रामनगर फर्स्ट लाइन, ओंगोल, प्रकाशम–521225, आंध्र प्रदेश** से जीएनएम और/या बी.एससी. (नर्सिंग) मान्यता प्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति केवल आंध्र प्रदेश राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./207/21]

INDIAN NURSING COUNCIL

ORDER

New Delhi, the 18th August, 2021

F. No. 18-518/2000-INC.—In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, **Chaitanya School/College of Nursing** situated at **Ramnagar 1st Line, Ongole, Prakasam – 523001, Andhra Pradesh** is recognized by State Government of Andhra Pradesh and Andhra Pradesh Nurses & Midwives Council.

Whereas, a notice No. 18-518/2000-INC dated 16/08/2019 for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to Principal Secretary, Health and Family Welfare Department, 05th Block, Ground Floor, Room No. 157, Secretariat, Velagapudi, Amaravathi – 522503, Andhra Pradesh was issued. Copy of the notice dated 16/08/2019 was also enclosed to Chaitanya School/College of Nursing, Ramnagar 1st Line, Ongole, Prakasam – 521225, Andhra Pradesh. In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of Chaitanya School/College of Nursing, Andhra Pradesh. Even the institution Chaitanya School/College of Nursing has not responded to the notices issued.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. Refusal for statutory inspection under section 13 of Indian Nursing Council Act 1947 is a serious issue. It is on the basis of inspections only that the Council would be in a position to decide about the suitability of the nursing institution to conduct nursing courses. Refusal for inspection would ipso facto mean that the institution does not possess the requisite Teaching, Clinical or infrastructural facilities.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3)(b) of the Indian Nursing Council Act, 1947 declares that with effect from 19/06/2021 any person holding a recognized qualification of GNM and B. Sc(N) from Chaitanya Scholl/College of Nursing, **Ramnagar 1st Line, Ongole, Prakasam–523001, Andhra Pradesh** shall be entitled to be registered only in the State of **Andhra Pradesh**.

Lt. Col. (Dr.) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./207/21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.08.18 21:47:56 +05'30'